मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक C-3-22/3/एक/95 भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 1995

प्रति,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय :—नियमों का अध्ययन सुनिश्चित करने बाबत्.

शासन के ध्यान में यह आया है कि कई अधिकारियों/कर्मचारियों को राज्य शसान/केन्द्रीय शासन द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़ा वर्ग के कर्मचारियों के हित में जारी नियमों/निर्देशों की समुचित जानकारी नहीं, है जिसके कारण प्रकरणों में निर्णय लेते समय पूर्ण और सही स्थिति प्रस्तुत नहीं होती है और फलस्वरुप इन वर्गों के कर्मचारियों के हित में सही निर्णय नहीं हो पाते हैं. बहुधा यह भी होता है कि पात्र व्यक्ति उचित लाभ से वंचित रह जाते हैं और अपात्र व्यक्तियों को अनुचित लाभ मिल जाता है. यह स्थिति कतई उचित नहीं है. राज्य शासन यह तथ्य जोर कर समस्त अधिकारी/कर्मचारी के ध्यान में लाना चाहता है कि वे राज्य शासन एवं केन्द्रीय शासन द्वारा समय-समय पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्गों के लिये दी जाने वाली आरक्षण संबंधी सुविधाओं के बारे में जो अधिनियम/नियम/परिपत्र जारी किये गये हैं, उनका सम्यक् अध्ययन कर उनका ठीक-ठीक पालन किया जाना सुनिश्चित करें.

2. समस्त विभागों द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/पिछड़े वर्ग को शासन की सेवाओं में आरक्षण एवं अन्य सुविधाएं दी जाने के बारे में जो परिपत्र जारी किये गये हैं उनका संकलन संबंधित विभाग तैयार कर आदिम जाति एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग को उपलब्ध करावें. यह प्राप्त होने पर आदिम जाति अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की यह जिम्मेदारी होगी कि समस्त संबंधित परिपत्रों का संकलन तैयार कर उन्हें मुद्रित कराकर समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को उपलब्ध करायें, ताकि उनसे उनके अध्ययन के बारे में प्रमाण-पत्र लिया जा सकें कि सभी अधिकारी और कर्मचारी इस विषय के निर्देशों से अवगत हो गए हैं.

3. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव अपने अधीनस्थ अधिकारियों से यह प्रमाण-पत्र प्राप्त कर लें कि उनके द्वारा उपरोक्तानुसार नियमों का अध्ययन कर लिया है. ऐसे प्रमाण-पत्रों के आधार पर एकत्र जानकारी सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जाए.

4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव की यह जिम्मेदारी होगी कि वे अपने अधीन कार्यरत विभागाध्यक्षों/कार्यालय के प्रभारियों से उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर कार्यालय अभिलेख में रखें.

5. समस्त विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों से उपरोक्तानुसार प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी सेवापुस्तिका में चस्पा करें.

6. उपरोक्तानुसार कार्यवाही के साथ-साथ विभाग यह भी सुनिश्चित करें कि भविष्य में नियुक्त होने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिये भी ऐसी व्यवस्था की जाये कि प्रशिक्षण के दौरान ही उन्हें इन नियमों का भली-भांत अध्ययन हो जाये और उनसे प्रमाण-पत्र प्राप्त कर उनकी सेवापुस्तिका में चस्पा किया जाए.

हस्ता./-

(एस. सी. पण्डया)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्र. सी. 3-22/95/3/एक, भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 1995

प्रतिलिपि :—

1. निबंधक, उच्च न्यायालय, म. प्र. जबलपुर.
   सचिव, लोकायुक्त, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र. इन्दौर.
   सचिव, कनिष्ठ सेवा चयन बोर्ड, म. प्र. भोपाल.
2. राज्यपाल के सचिव, म. प्र. शासन, राजभवन भोपाल.
   सचिव, विधान सभा सचिवालय, म. प्र. भोपाल.
3. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, म. प्र. भोपाल.
   सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, म. प्र. भोपाल.
4. अध्यक्ष, व्यावसायिक परीक्षा मंडल, म. प्र. भोपाल.
5. रजिस्ट्रार, म. प्र. राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण, जबलपुर/भोपाल/इन्दौर/ग्वालियर.
6. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता मध्यप्रदेश जबलपुर/इन्दौर/ग्वालियर.
7. प्रमुख सचिव/सचिव/उपसचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय
8. अवर सचिव, स्थापना/अधीक्षण/अभिलेख शाखा/मुख्यलेखाधिकारी, मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल.
9. आयुक्त, जनसंपर्क म. प्र. भोपाल.
10. शासन के समस्त मान्यता प्राप्त अधिकारी/कर्मचारी संघों की ओर सूचनार्थ अग्रेषित.

हस्ता./-

(यू. एस. बिसेन)
अवर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन ,
सामान्य प्रशासन विभाग,
दूरभाष-551672.